भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1126

जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

शिक्षा ऋण

1126. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बैंकों से छात्रों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) महाराष्ट्र में शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ड.) सरकार द्वारा सभी छात्रों को समय पर शिक्षा ऋण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या और बैंकों द्वारा वितरित ऋण का बैंक-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्ष ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- इस योजना में आवश्यकता-आधारित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- 7.50 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए किसी प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय-पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते, कि वे केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सहायता योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हों।
- 4 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।
- सभी मामलों में अध्ययन की अवधि और अध्ययन के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी गई है।
- सभी ऋणों के लिए उपलब्ध पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन के बाद) 15 वर्ष तक है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में शिक्षा ऋण खातों की संख्या और संवितरित किए गए ऋणों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। शिक्षा ऋण खातों की संख्या, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 48,128 थी वित्तीय वर्ष 23-24 में बढ़कर 72,971 हो गई है, जो इस अवधि के दौरान 51.62% की वृद्धि दर्शाता है, संवितरित किए गए ऋण की कुल राशि 2025.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 3443.76 करोड़ रुपए हो गई है, जो इसी अवधि के दौरान 70% की वृद्धि दर्शाता है।

सरकार ने छात्रों को एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से बिना किसी बाधा के शिक्षा ऋण सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल नामत: विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) का भी शुभारंभ किया है। छात्र शिक्षा ऋण आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय कहीं से बैंक में जमा किए गए शिक्षा ऋण आवेदन को देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, यदि किसी बैंक द्वारा ऋण आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो यह अस्वीकृति उच्चतर प्राधिकारी की सहमति से की जाएगी और छात्र को इसकी सूचना अस्वीकृति के कारण के साथ दी जाएगी। इससे अस्वीकृति के लिए द्वि-स्तरीय जांच सुनिश्चित होती है ताकि इस योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र ऋण प्रस्ताव अस्वीकृत न किया जाए।

(च): शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की ज़िला-वार कुल संख्या केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य में बैंक-वार संवितरित किए गए शिक्षा ऋण को अनुबंध में दर्शाया गया है।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1126 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित में अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संवितरित किए गए शिक्षा ऋण			
राज्य	**बैंक**	**खातों की संख्या**	**संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)**
महाराष्ट्र	बैंक ऑफ बड़ौदा	6889	467.51
	बैंक ऑफ इंडिया	8874	194.68
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9850	342.1
	केनरा बैंक	2767	157.18
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2802	111.51
	इंडियन बैंक	1194	247.93
	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	385	11.66
	पंजाब नैशनल बैंक	1583	109.64
	पंजाब एंड सिंध बैंक	107	7.69
	भारतीय स्टेट बैंक	22626	1156.1
	यूको बैंक	220	9.79
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4968	224.42
	कुल	**62,265**	**3040.21**